भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2497
उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

आईआईटी, गुवाहाटी में रिक्तियां

†2497. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गुवाहाटी, असम में प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों के लिए स्वीकृत और रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) संस्थान द्वारा वर्तमान में नियोजित अतिथि संकाय की कुल संख्या कितनी है; और
(ग) संस्थान में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और अनुसूचित जातियों (अजा) के लिए आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकांत मजूमदार)

(क) से (ग): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्वायत्त संस्थान हैं जो प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 और समय-समय पर इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों द्वारा शासित होते हैं। आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना वर्ष 1994 में उन्नत अनुसंधान के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना के साथ की गई थी और इसे अत्याधुनिक वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं से सुसज्जित किया गया है। शिक्षण और अनुसंधान में अपनी उपलब्धियों के अतिरिक्त, आईआईटी गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम रहा है।

रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियाँ सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और बढ़ी हुई छात्र संख्या की वजह से अतिरिक्त आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती हैं। संस्थान संकाय भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करता है जो संस्थान में सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। इसके अतिरिक्त, आईआईटी एक सख्त संकाय भर्ती प्रक्रिया का पालन करते हैं, जिसमें शिक्षण प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन जैसे कई चरण शामिल होते हैं, ताकि शीर्ष स्तर के संकाय का चयन सुनिश्चित किया जा सके। चयनित अभ्यर्थियों को सेमिनार प्रस्तुतियों, संकाय संवाद और बाह्य विशेषज्ञों की समिति द्वारा साक्षात्कार से गुजरना होता है।

इसके अलावा, आईआईटी वास्तविक दुनिया की सर्वोत्तम पद्धतियों की सूचना प्रदान करके छात्रों के अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस (पीओपी) को नियुक्त करते हैं। पीओपी उद्योग और संस्थान के बीच एक सेतु के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे शिक्षण और अनुसंधान के अवसरों की पहचान की जा सकती है, जो सार्वजनिक हित और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, आईआईटी, विचारों और दृष्टिकोणों के व्यापक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए, अल्पावधि हेतु आईआईटी में शामिल होने वाले शिक्षाविदों या वरिष्ठ उद्योग व्यावसायिकों से आने वाले अतिथि संकाय सदस्यों को भी नियुक्त करते हैं।

वर्ष 2019 में, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के अधिनियमन के माध्यम से आईआईटी में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर पर आरक्षण शुरू किया गया था। आईआईटी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का पालन कर रहे हैं। अधिनियम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए क्रमशः 15%, 7.5%, 27% और 10% आरक्षण का प्रावधान है।

*****